स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : अन्जुमन-ए-अशरफ एजुकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : ग्राम व पो० सिहाली जागीर तह० हसनपुर जिला अमरोहा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

1. प्राथमिक शिक्षा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए स्कूल कालेज, महाविद्यालयों की स्थापना तथा उनका प्रबन्ध एवं संचालन करना। शिक्षा सुधार हेतु शिक्षाविदों की गोष्ठियां आयोजित करके सरकार को उनसे अवगत कराना, उन सभी साधनों का क्रियान्वयन करना जिससे शिक्षा का प्रसार सम्भव हो। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक मार्ग दर्शन देना। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध कराना। मिड-डे-मील योजना का संचालन करना।
2. विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं के शैक्षिक विकास के हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा हेतु मदरसा / मदरसों की स्थापना एवं संचालन करना।
3. शराब, मदिरा, हीरोइन, स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, भांग इत्यादि मादक पदार्थों एवं दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान से अवगत कराना तथा मादक पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके व्यक्तियों के इलाज की निःशुल्क सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण एवं संचालन करना [illegible] उचित परामर्श देना।
4. संस्था के द्वारा गरीब व असहाय व्यक्तियों [illegible] दवाईयां वितरित करना व उनके इलाज के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना [illegible]
5. संस्था के द्वारा सरकार से अनुदान [illegible] व्यवस्था से [illegible] कार्यों में खर्च करना।
6. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] की जानकारी देना एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रजनन के [illegible] जानकारी उपलब्ध कराना। मां और शिशुओं की सुरक्षा [illegible] और टीकाकरण कराना।
7. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] महिलाओं एवं पुरुषों को साक्षर करना एवं [illegible] को प्रेरित करना। सर्वशिक्षा अभियान के बच्चों को [illegible] की शिक्षा प्राप्त कराने [illegible] करना तथा विधिक साक्षरता के माध्यम से जनता को सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं [illegible] लोगों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने में सहयोग करना।
8. समाज में फैल रही आपसी द्वेष भावना को समाप्त करने हेतु राष्ट्रहित में राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करना, समाज में सद्भावना कायम करना तथा मानव अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना।
9. समाज के सभी धर्मों व जातियों के पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, संग्रहालयों, वाचनालयों की स्थापना कर उनका चहुंमुखी विकास करना एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े व दलित वर्ग के लोगों को मोबाईल डिस्पेंसरी व अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
10. सभी प्रकार के विकलांगों एवं कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंगों का वितरण करना व उनके सर्वांगीण विकास हेतु छात्रावासों की स्थापना कर निःशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान कर उनका पुनर्वासित करना।
11. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत सम्बन्धी गोबर गैस और ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

12 समाज के सभी निर्धन वर्गों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना एव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लाभान्वित करना।

13 समाज में शिशुओं को अपना शिकार बनाकर अपाहिज कर देने वाली बीमारी को जड़ से मिटाने हेतु पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी अभियान में सहयोग करना एव असुरक्षित यौन सम्बन्धों के कारण उपजी बीमारी एडस के सर्वनाश हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी प्रदान करना तथा एडस, कैंसर टीबी के उन्मूलन हेतु निशुल्क कार्यक्रम चलाना तथा संस्था के द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना कर संचालन करना एव. निशुल्क इलाज करना।

14 समाज के सभी वर्गों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराना एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था कराने हेतु हैण्डपम्प लगवाना व दलित पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन लोगों को निशुल्क आवास उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों की व्यवस्था कराकर नगरीय एव ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अपनाना।

15 युवाओं को उनके स्वयं के विकास के लिए संचालित सामाजिक कार्यक्रमों से लाभान्वित कराना जैसे स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, प्रदर्शन एव निशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन आदि कराना।

16 बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण वस्तुस्थिति का अध्ययन कर राष्ट्रीय नीति के अनुसार बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना। मानवाधिकार, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाना एव बाल श्रमिकों, अनाथों, निराश्रितों को शिक्षा प्रदान करना।

17 समाज में बुजुर्गों के प्रति बढ़ रहे असम्मान एव बोझ को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नरकीय जीवन व्यतीत एव आत्महत्या से बचाने के लिए वृद्धाश्रम एव डे-केयर सेन्टर की स्थापना कर उसमें बिना किसी भेदभाव के निशुल्क प्रवेश देकर उन्हें चिन्तामुक्त जीवन प्रदान कर लाभान्वित करना।

18 समाज के सभी निर्धन वर्ग की महिलाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जरदोजी, पत्ती, वर्क, मोमबत्ती, साबुन, धूपबत्ती, अगरबत्ती आदि बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने हेतु स्वतः रोजगार [illegible] में सहयोग करना एवं कामकाजी महिलाओं को निशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान करना।

19 ~~संस्था आयुर्वेदिक, यूनानी, [illegible] का संचालन करेगी। संस्था बिना लाभ हानि के कार्य करेगी।~~

20 युवाओं को मनोरंजन, भारतीय संस्कृति, व्यायाम व खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु व्यायाम शालाओं की स्थापना करना, जनता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना एव युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को चिन्हित कर राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के योग्य बनाना।

21 वन एव पर्यावरण की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर आम जनता को लाभान्वित करना एव पर्यावरण को नियन्त्रित करने हेतु पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़राहत, सूखा, महामारी इत्यादि दैवी आपदाओं के समय समाज को सहायता उपलब्ध कराना।

22 कृषि सुधार उन्नत बीज व कृषि के लिए भूमि की उर्वरक शक्तियों में वृद्धि एव ऊसर सुधार के लिए निम्न स्तर तक जतन करना व उपायों के बारे में कृषकों को शिक्षित करना एवं मत्स्य पालन, मसरूम, रेशमकीट पालन, मधुमक्खी पालन का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यवस्था एव संचालन करना।

23 बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु समाज के सभी धर्मों व जातियों के निर्बल वर्ग एव दलित वर्ग के नवयुवकों व नव युवतियों, महिलाओं को रोजगारपरक विभिन्न प्रशिक्षणों के साथ साथ टाइप व आशुलिपि, मोटर ड्राईविंग, टी0वी0, मोटर मरम्मत, फिटर, क्राफ्ट, काष्ठकला, पेंटिंग, डेंटिंग, बुक बाईन्डिंग, प्रिन्टिंग, कम्पोजिंग, बुक बाईडिंग, फोटोग्राफी तथा उच्च तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर आदि का निशुल्क प्रशिक्षण देकर युवा व महिला वर्ग को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

24 विभिन्न साहित्य एव संस्कृति पर गोष्ठियां व सेमीनार कराना तथा लेखक, लेखिकाओं की पुस्तकों का निशुल्क प्रकाशन करना।

25 संस्था जनहित में उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उ0प्र0 खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग, खादी कमीशन, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त बैंकों व समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, वस्त्र विभाग, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग, डूडा, यूनिसेफ, हुडको, सिफसा, कपार्ट व नबार्ड, वित्त विकास निगम, सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल, मौलाना आजाद ऐजुकेशन फाउन्डेशन, राज्य सरकार, भारत सरकार, व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिष्ठान आदि की योजनाओं के अनुसार कार्य करना एव उससे होने वाले लाभ धन को चैरेटेबिल कार्यों पर खर्च करना।

26 साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशनएक्ट 21 सन 1860 के अन्तर्गत हों।

Shabbir शब्बीर Reshma इरफान

गाज़ी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

5. कार्यकारिणी समिति के सदस्यो के नाम पते, पिता के नाम एवं व्यवसाय जिनको समिति के अनुसार कार्य सौपा गया है।

क्र0 स0	नाम / पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	मुशर्रफ अली खान पुत्र श्री अशरफ अली खान	जामिया नगर दक्षिण दिल्ली	अध्यक्ष	व्यापार
2.	शाहबुददीन खान पुत्र श्री अशरफ खान	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	अशफाक अली खॉ पुत्र श्री अशरफ अली खॉ	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	प्रबन्धक	व्यापार
4.	श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी श्री अशफाक अली खॉ	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5	मौ0 यासीन खान पुत्र श्री बुद्धन खान	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	सदस्य	कृषि
6	इरफान खान पुत्र श्री मुन्ने खान उर्फ लईक अहमद	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	सदस्य	कृषि
7.	गाजी खान पुत्र श्री तुफैल खान	ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा	सदस्य	कृषि

6.हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि0 एक्ट 1860 के अर्न्तगत एवं समिति का गठन किया है।

दिनांक :- 12.9.17

Shahbuddin Reshma मौ0 यासीन इरफान

गाजी

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

नियमावली

1. संस्था का नाम : अन्जुमन–ए–अशरफ एजूकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : ग्राम व पो0 सिहाली जागीर तह0 हसनपुर जिला अमरोहा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उदेदश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे :–

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग

आजीवन सदस्य:– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 1000/–रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 500/–रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 200/–रू0 प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

6 सदस्यता समाप्ति :–

1–सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2– सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– लगातार तीन बैठकों मे अनुपस्थित रहने पर।
4–सदस्य शुल्क समय से जमा न करने पर।
5– न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
6–त्याग पत्र दिये जाने पर।
7–संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

7 संस्था के अंग –

अ– साधारण सभा।
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

8 साधारण सभा :–

1– गठन – साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेग।
2– बैठक – साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति वर्ष मे तथा विशेष बैठक आवश्यतकतानुसार बुलाई जायेगी।
3– सूचनावधि – साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।
4– गणपूर्ति – साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

कोषाध्यक्ष :–

1– आय – व्यय का लेखा जोखा करना।

2– संस्था के समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना।

3– संस्था के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना।

11–नियमों मे परिवर्तन :– संस्था के नियमों मे परिवर्तन सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 अर्न्तगत साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

12– संस्था का कोष :– संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत, अर्द्धसरकारी बैंक अथवा डाकघर मे संस्था के नाम से खाता खोलकर धन जमा किया जायेगा संस्था का खाता प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन किया जायेगा।

13– लेखा निरीक्षण :– संस्था के आय– व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर से प्रति वर्ष कराया जायेगा ।

14–अदालती कार्यवाही :– संस्था की समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

15–अभिलेख :–

1– सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर
3– एजेण्डा रजिस्टर
4– कैश बुक आदि

16– विघटन :– संस्था के विघटन एवं विघिटत सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी।

दिनांक :– 12·9·17

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद